Ability to Pay theory of Taxation

राजकीय कार्यों के संचालन के लिए सभी देशों की सरकार अपने नागरिकों पर कर लगाती है जो आय का मुख्य स्त्रोत होता है। कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार करदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से कोई मुआवजा नहीं देती।

करों के सम्बन्ध में प्रमुख समस्या करारोपण के सिद्धान्त की है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों से लेकर अभी तक राजस्व के ~~सभी~~ सम्बन्ध में करारोपण के सिद्धान्त पर अपने विचार प्रकट किए हैं। एडम स्मिथ के अनुसार, किसी देश की करप्रणाली समानता अथवा न्यायशीलता, निश्चितता, सुगतान की सुविधा तथा करसंग्रह में मितव्ययिता के चार मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। एडम स्मिथ के उपयुक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक आदर्श कर प्रणाली की कई अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया जिनमें उत्पादकता, सरलता, लचीलापन, विविधता आदि प्रमुख हैं। इनमें प्रायः सभी लेखकों ने करों के न्यायशीलता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार करारोपण का प्रमुख उद्देश्य समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करना है। करों के अनेक प्रकार के आधार पर करों के मिल सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है इनके लाभ का सिद्धान्त, सेवा का सिद्धान्त तथा करदान क्षमता का सिद्धान्त प्रमुख है।

लाभ का सिद्धान्त (Benefit theory)

लाभ का सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही कर देना चाहिए जिस अनुपात में उसे राजकीय क्रियाओं से लाभ प्राप्त होता है। परन्तु यह पता लगाना कि सरकारी सेवाओं से किसी व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ है, कठिन है। इसके अलावा

इस तरह के कर का अधिकांश भाग समाज के निर्धन वर्ग को ही वहन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार इसी वर्ग पर अधिकांश व्यय व्यय करती है।

सेवा की लागत का सिद्धान्त (Cost of Service theory)

सेवा की लागत का सिद्धान्त के अनुसार कर की दर उन सेवाओं की लागत के अनुपात में निश्चित होनी चाहिए जो सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है। किन्तु यह सिद्धान्त भी लाभ सिद्धान्त के समान दोषपूर्ण एवं अव्यवहारिक है।

करदान योग्यता का सिद्धान्त (Ability to Pay theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार लोगों की कर देने की क्षमता के आधार पर ही कर लगाना चाहिए। Adam Smith के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कार्यों के लिए उतना ही कर देना चाहिए जितना उसकी कर देने की योग्यता है। Dalton ने भी इस सिद्धान्त को अधिक व्यवहारिक बताया है) "क्योंकि व्यक्तियों के बीच करों का वितरण उनकी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए।"

करदान योग्यता का सिद्धान्त अधिक उचित एवं न्यायसंगत है परन्तु इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाई यह है कि करदान योग्यता को कैसे मापा जाय। अर्थशास्त्रियों ने करदान योग्यता की माप के लिए दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं -

① वस्तुगत दृष्टिकोण (objective approach)

अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने करदान योग्यता को मापने के लिए वस्तुगत दृष्टिकोण को अपनाया है इसके अनुसार करदान योग्यता को निम्नलिखित मापा जा सकता है -

की समता का उपयुक्त आधार नहीं माना जा सकता। दो व्यक्तियों की मौद्रिक आय समान होने पर भी उनकी कर चुकाने की क्षमता अलग अलग हो सकती है।

b. भावनात्मक दृष्टिकोण (Subjective approach)

कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि करदाता की कष्ट उठाने या त्याग करने की शक्ति द्वारा उसकी करदान-योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। करदाता की कष्ट उठाने की शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी करदान-क्षमता भी होती है। त्याग के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं -

1. समान त्याग का सिद्धान्त (Principle of equal sacrifice)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन J.S. Mill ने किया था। इनके अनुसार "करारोपण की समानता का अर्थ त्याग की समानता से है। इसका अर्थ यह है कि सरकार के खर्च के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिया जानेवाला त्याग इसप्रकार निश्चित होना चाहिए कि इससे कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से का कर भुगतान करने में, दूसरे व्यक्तियों की तुलना में न तो ज्यादा और न कम सुविधा का अनुभव करे।" अतः सभी करदाताओं को सरकार के लिए समान त्याग करना चाहिए। यह तभी संभव है जब ऐसा की कर-प्रणाली समानुपातिक हो। किन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अन्यायपूर्ण है- क्योंकि न्याय की दृष्टि से अधिक आयवाले व्यक्तियों के कर की दर अधिक होनी चाहिए।

2. समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त Principle of Proportional Sacrifice

(i) उपभोग का स्तर (Level of consumption)

किसी व्यक्ति के कर देने की क्षमता उसके उपभोग या व्यय के स्तर से जानी जा सकती है। जो व्यक्ति उपभोग पर जितना ही अधिक व्यय करता है उसकी करदान-योग्यता भी उतनी ही अधिक होगी। किन्तु करदान-योग्यता का यह आधार न्यायपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का परिवार बड़ा है तो वह छोटे परिवार की तुलना में स्वभावतः अधिक व्यय करेगा। जिससे कर चुकाने की क्षमता अधिक नहीं बल्कि कम होगी। इसके अलावा अगर उपभोग या व्यय को कर का आधार मान लेने पर लोग उपभोग की मात्रा कम कर देंगे जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ii) सम्पत्ति (Property)

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सम्पत्ति के आधार पर कर चुकाने की शक्ति को मापना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक सम्पत्ति होगी उससे उतना ही अधिक कर लेना चाहिए। लेकिन सम्पत्ति को कर का आधार बनाना उचित नहीं है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के आय तो बहुत है लेकिन ज्यादा खर्च करने के कारण उनकी सम्पत्ति नहीं होती इसके विपरीत कुछ ऐसे हैं जो सिमित आय से ही सम्पत्ति अर्जित कर लेते हैं इसलिए सम्पत्ति का सही मुल्यांकन करना कठिन है। अतः सम्पत्ति को कर लगाने का उचित आधार नहीं कहा जा सकता है।

(iii) आय (Income)

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्यक्तियों की आय उनकी करदान-योग्यता की एक अच्छी माप है। किन्तु ~~करदान~~ ~~योग्यता~~ उपभोग के समान ही आय को भी कर देने

इस सिद्धान्त के अनुसार करदाताओं पर कर का भार समान न होकर उनकी आय के समानुपातिक होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि कम आयवाले व्यक्ति ~~किसी~~ नीची दरों पर तथा अधिक आयवाले ऊँची दरों पर कर दे। इसप्रकार जैसे-जैसे व्यक्तियों की आय बढ़ती है वैसे वैसे करों की दर में भी वृद्धि होनी चाहिए। यह सिद्धान्त कर-प्रणाली को प्रगतिशील करने का प्रयास करता है। परन्तु यह सिद्धान्त भी समान त्याग के सिद्धान्त की तरह दोषपूर्ण है।

3. न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त (Principle of minimum sacrifice)

इस सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक Edgeworth और Carver है। लेकिन Marshall, Pigou और Dalton ने भी इसका समर्थन किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी देश की कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि समाज को कुल मिलाकर कम से कम त्याग करना पड़े। इस सिद्धान्त का आधार आय की घटती हुई सीमान्त उपयोगिता है। सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे-वैसे उसकी उत्तरोत्तर इकाईयों से मिलनेवाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ~~अर्थात~~ अर्थात निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा अमीरों के पास धन होता है, इसलिए उनके लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है इसलिए समाज का कुल त्याग तभी न्यूनतम हो सकता है जब सभी व्यक्तियों से कर न लेकर एक निश्चित सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों से प्रगतिशील दरों पर कर लिया जाय। सरकार को चाहिए कि वह आय की एक न्यूनतम सीमा निश्चित

कर है। जिन व्यक्तियों की आय इस सीमा से कम उन्हें करों से मुक्त कर दिया जाय और जिनकी आय इस सीमा से अधिक है उन्हीं लोगों से कर लिया जाय। इसके साथ ही इन व्यक्तियों से प्रगतिशील दरों पर कर वसूल करना चाहिए। क्योंकि इससे आर्थिक असमानताओं में कमी होती है। और असमानताएँ दूर करना ही न्यायशीलता कहलाता है। प्रो० पीगू के अनुसार " न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त करारोपण का मौलिक सिद्धान्त है क्योंकि यह अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त पर आधारित है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं —

रुपये की ईकाइयाँ	त्याग		
	A	B	C
1 रुपया देने से	5	6	10
2 रुपया देने से	7	7	12
3 रुपया देने से	8	8	13
4 रुपया देने से	9	10	14
5 रुपया देने से	10	12	15

उपरोक्त तालिका में A, B, C तीन व्यक्ति हैं ~~जिनमें~~ से किसी एक को 1 रुपया कर के रूप में देना है और सरकार को 10 रुपया कर के रूप में वसूल करना है तो उसे A से 5 रुपया, B से 4 रुपया और C से 1 रुपया वसूल करना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में सब का सीमान्त त्याग 10 के बराबर है।

इसे रेखा-चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं —

उपर्युक्त चित्र में x अक्ष पर विभिन्न आय-वर्ग तथा Y-अक्ष पर आय स्तर को दिखाया गया है। LM रेखा जो सार्वधिक आय को दिखाती है वह Horizontal Line नहीं है। LM रेखा बायें से दाहिनी

और झुकी हुई है। जो बताती है करारोपरान्त A आय-वर्ग वाले व्यक्तियों के पास B आय-वर्ग वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक आय शेष रह जाती है। चित्र में एक न्यूनतम आय के लोगों F, G, H, I, J (10,000 वार्षिक आय) पर कर नहीं लगेगा लेकिन 10,000 वार्षिक आय से ऊपर के लोगों A, B, C, D, E पर कर की दर प्रगतिशील होगी।

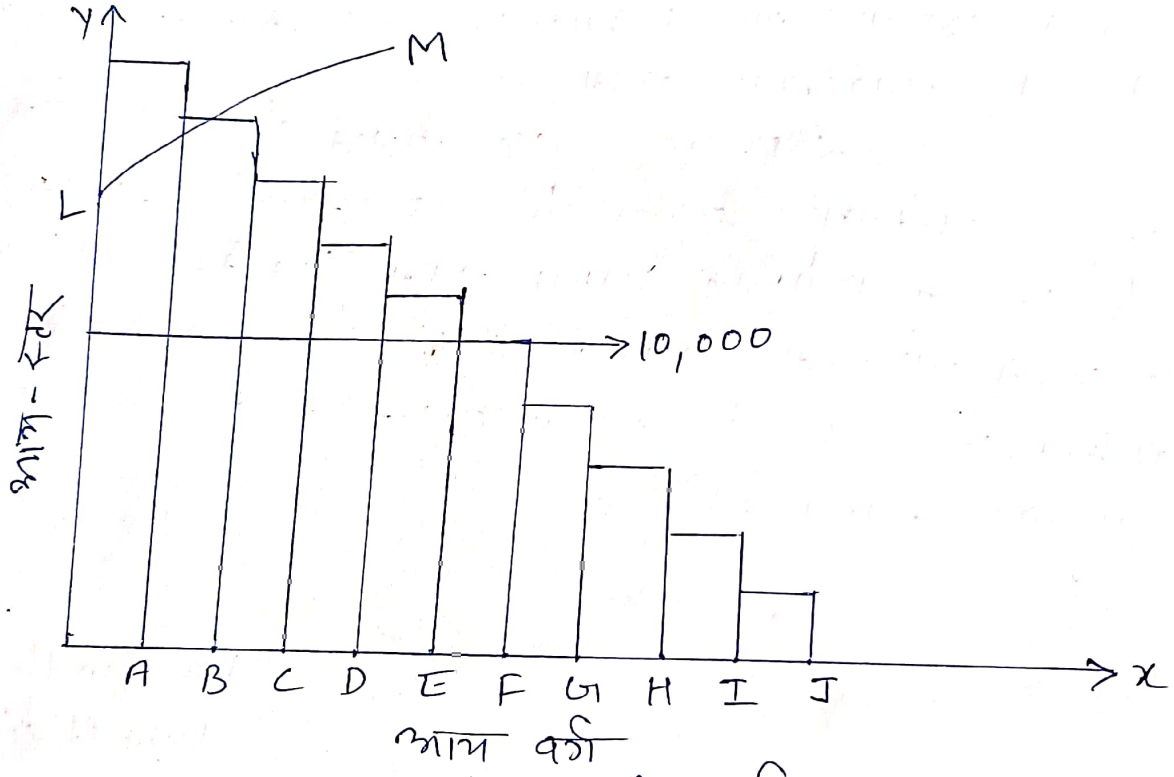

इसप्रकार सरकार को ऊपरी वर्ग पर उस समय तक करारोपण करते करना चाहिए जब तक कि ऊपर वर्ग एवं निचले वर्ग की सीमान्त उपयोगिता बराबर न हो जाए। इससे सामूहिक त्याग की मात्रा न्यूनतम होगी।

यद्यपि करदान योग्यता का सिद्धान्त करारोपण का सबसे अधिक न्यायोचित सिद्धान्त माना जाता है फिर भी इस सिद्धान्त के कुछ दोष निम्नलिखित है —

① करदान योग्यता मुख्यतः त्याग पर आधारित है जबकि त्याग एक व्यक्तिगत मानसिक स्थिति है।

जिसे मापना कठिन है।

(2) यह सिद्धान्त आय की घटती हुई सीमान्त उपयोगिता पर आधारित है। लेकिन उपयोगिता की आकलन होता है अर्थात हर व्यक्ति के लिए एक चीज की उपयोगिता अलग अलग होती है।

(3) Musgrave के अनुसार करदान योग्यता का सिद्धान्त यह नहीं बताता की कर के बोझ को किस प्रकार वितरित किया जाय। साथ ही यह सिद्धान्त व्यय पक्ष की भी अवहेलना करता है।

इस प्रकार इस सिद्धान्त के कई दोष हैं। किन्तु वर्त्तमान समय में करदान योग्यता सिद्धान्त को ही न्यायोचित माना जाता है। टेलर के अनुसार "करदान योग्यता का सिद्धान्त हमें यथासम्भव वास्तविक कर के निकट ले जाता है और वह आधार आय है।"

—x—

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College